

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मुकदमा नंबर दावा / 136 / 2001

तारीख रजु 14.06.2001

उनवान

मिश्रा उर्फ गिराज पुत्र जगना जाति जाटव निवासी सनेंट तहसील हिण्डौन जिला करौली
-----वादीगण 01

बनाम

रामखिलाडी पुत्र हंसा वगै० जाति जाटव निवासी सनेंट तहसील हिण्डौन जिला करौली
-----प्रतिवादीगण 08

उपस्थिति:-

वादी की ओर से :- एमएस राजावत एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट


निर्णय

दिनांक 16.03.2020

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतने एक दावा बावत् डिक्लेरेशन , इन्द्राज दुरुस्ती, तकास्मा एवं रथाई निषेद्याज्ञा स्थित ग्राम पटोंदा तहसील हिण्डोन के खसरा न. 486, 487, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 501 एवं नये खसरा नं० 1022, 1023, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1041 के सम्बंध में पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। बार-बार आवाज दिलाई गई। पत्रावली वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए, जिससे जाहिर होता है कि उभय पक्ष उक्त दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादी दावा मुकदमा नंबर 136 / 2001 मिश्रा उर्फ गिराज बनाम रामखिलाडी वगै० अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखाया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।


(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

